संख्या-397/2021/2382/41-2021-80(सा0)/2021

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 19 अगस्त, 2021**

विषयः-जनपद देवरिया में राजकीय आस्थान (पुरानी कचहरी) की भूमि पर शहीद स्व0 रामचन्द्र विद्यार्थी स्मृति स्थल विकास संग्रहालय का निर्माण कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने ई-मेल पत्र दिनांक 15 जुलाई 2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद देवरिया में राजकीय आस्थान (पुरानी कचहरी) की भूमि पर शहीद स्व0 रामचन्द्र विद्यार्थी स्मृति स्थल विकास संग्रहालय का निर्माण कराये जाने के संबंध में मा0 मंत्रि-परिषद का अनुमोदन प्राप्त किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2. अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश भारत का विविधताओं से युक्त पर्यटन के आकर्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है। भारत में घरेलू एवं विदेशी पर्यटकों के आगमन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का क्रमशः प्रथम एवं तृतीय स्थान है। अपनी गौरवशाली ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक विरासतों तथा समृद्ध प्राकृतिक वनसम्पदाओं के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में पर्यटन की असीम सम्भावनाएं विद्यमान हैं।

3. प्रदेश के पर्यटन विभाग द्वारा विभिन्न पर्यटन स्थलों एवं पर्यटन सम्भावनाओं के समन्वित एवं सुनियोजित पर्यटन विकास हेतु अनेक महत्वपूर्ण कार्य कराये जा रहे हैं। इस हेतु राज्य सेक्टर के अन्तर्गत प्रदेश सरकार से बजट व्यवस्था के माध्यम से और पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वदेश दर्शन स्कीम एवं प्रासाद स्कीम के अन्तर्गत धनराशि प्राप्त होती है।

4. भारत की आजादी का 75वाँ वर्ष आगामी वर्ष 2022 में व्यापक स्तर पर मनाया जाना प्रस्तावित है। उक्त के दृष्टिगत भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए समस्त प्रमुख घटनाओं एवं स्थलों के गरिमामयी प्रस्तुतीकरण का प्रयास किया जा रहा है। इस कड़ी में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जनपद देवरिया की अग्रणी भूमिका रही है। देवरिया जिले के नौतन हथियागढ़ गॉव के बाबूलाल प्रजापति के परिवार में एक अप्रैल 1929 को जन्मे रामचन्द्र सातवीं कक्षा की पढ़ाई के दौरान 14 अगस्त, 1942 को देवरिया के पुराने कलेक्ट्रेट स्थित ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के इजलास पर तिरंगा फहराने छात्रों का झुण्ड लेकर पहुॅच गये, जहॉ छात्रों ने पिरामिड बनाकर उन्हें चढ़ा दिया और उन्होंने इजलास पर अंग्रेजों का झण्डा फेंककर तिरंगा फहरा दिया। मजिस्ट्रेट के निर्देश पर हुई फायरिंग में रामचन्द्र जी घायल हो गये और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गयी। काफी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

समय के बाद रामलीला मैदान में शहीद रामचन्द्र विद्यार्थी का स्मारक बनाया गया। उक्त स्थल सन् 1955 ई0 में पुरानी जेल एवं कलेक्ट्रेट के रूप में परिवर्तित हुआ। उक्त परिसर के विकास से आगन्तुक देशी/विदेशी पर्यटकों में बढ़ोत्तरी होगी एवं रोजगार सृजन व पूँजी निवेश से सुनिश्चित बढ़ोत्तरी होगी। शहीद स्थलों के समेकित विकास को एक नया आयाम मिलेगा।

5. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुपालन में जनपद देवरिया में राजकीय आस्थान (पुरानी कचहरी) की भूमि पर शहीद स्व0 रामचन्द्र विद्यार्थी स्मृति स्थल विकास संग्रहालय का निर्माण कराये जाने के संबंध में क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, गोरखपुर के पत्र संख्या 633/क्षे0प0का0गो0/देवरिया/2020-21 दिनाँक 03.07.2021 के साथ संलग्न जिलाधिकारी, देवरिया के पत्र संख्या 218**(i)-(iii)**/सात-भूलेख-21 दिनाँक 29.06.2021 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के क्रम में मा0 मंत्रिपरिषद द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिया गया है:-

1- जनपद देवरिया में राजकीय आस्थान (पुरानी कचहरी) की भूमि पर शहीद स्व0 रामचन्द्र विद्यार्थी स्मृति स्थल के विकास एवं संग्रहालय के निर्माण हेतु जिलाधिकारी, देवरिया से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद देवरिया के तहसील-देवरिया सदर के ग्राम बॉस देवरिया में अवस्थित राजकीय आस्थान (पुरानी कचहरी) की भूमि आ0सं0-117 रकबा 0.532 हे0 एवं आ0सं0-119 रकबा 0.849 हे0 भूमि को पर्यटन विभाग के नाम निःशुल्क हस्तान्तरित किया जायेगा।

2- प्रश्नगत प्रकरण में आवश्यकतानुसार अग्रतर निर्णय लिये जाने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया जाता है।

6. वर्तमान में गवर्नमेन्ट ग्राण्ट एक्ट 1895 को भारत सरकार द्वारा निरसित (रिपिल) कर दिया गया है। सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित (संशोधन) नियमावली, 2003 के अन्तर्गत उक्त भूमि 90 वर्ष के पट्टे के माध्यम से, जिसका प्रत्येक 30 वर्ष पर नवीनीकरण किया जाना होगा, निम्नलिखित शर्तों के साथ पट्टे पर दिया दिया जायेगा:-

(क) प्रस्तावित भूमि का पट्टा प्रथमतः 30 वर्ष के लिए निष्पादित किया जायेगा, जिसे 30-30 वर्ष के लिये नवीनीकृत कराने का प्राविधान होगा, लेकिन पट्टे की अधिकतम अवधि 90 वर्ष की होगी।

(ख) भूमि पर स्वामित्व राजस्व विभाग का ही बना रहेगा। इस भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन समाप्त हो जाने पर यह भूमि इससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग करने पर अथवा पट्टे की शर्तों का उल्लंघन होने पर भूमि पुनः राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी और पट्टा स्वतः समाप्त माना जायेगा।

(ग) पट्टेदार द्वारा ऋण लेने के प्रायोजन से भूमि को किसी राष्ट्रीयकृत/वित्तीय संस्था में बन्धक रखने के पूर्व शासन की लिखित अनुमति प्राप्त की जायेगी।

(घ) पट्टा असंक्रमणीय होगा अर्थात पट्टेदार को पट्टा शुदा भूमि को किसी व्यक्ति/संस्था/संगठन आदि को अन्तरित करने का अधिकार नही होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(च) पट्टा-विलेख को अनिवार्य रूप से पंजीकृत कराया जायेगा और इस हेतु स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क पट्टेदार के द्वारा वहन किया जायेगा।

(छ) भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(ज) पट्टा विलेख का निष्पादन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्धन से सम्बन्धित नियमावली, 2003 के प्राविधानों के अन्तर्गत उक्त भूमि अपरिहार्य परिस्थितियों में अपवाद स्वरूप पट्टे पर दी जायेगी। भविष्य में इसे दृष्टांन्त नहीं माना जायेगा। श्री राज्यपाल महोदय की ओर से जिलाधिकारी, देवरिया द्वारा पट्टे का निष्पादन एवं अन्य औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी।

7. अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नगत प्रकरण में तत्काल अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित कर कृत कार्यवही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रमुख सचिव।

संख्या-397/2021/2382(1)/41-2021-80(सा0)/2021 दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मा0 मंत्री जी, पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3- अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0 लखनऊ।
4- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/ राजस्व विभाग एवं न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- आयुक्त गोरखपुर मण्डल, उ0प्र0।
7- जिलाधिकारी, देवरिया, उ0प्र0।
8- उप निदेशक/क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, गोरखपुर, उ0प्र0।
9- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in